



## 10,000 FPOs का गठन एवं संवरद्धन

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि और कसिन कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्रक योजना '10,000 कसिन उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवरद्धन' (Formation & Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations- FPOs) की प्रथम वर्षगाँठ मनाई गई।

### प्रमुख बांदिः

#### • शुरुआतः

- इसकी शुरुआत फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के चतिरकूट में 6865 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ की गई थी।

#### • FPOs के गठन एवं संवरद्धन के बारे मेंः

- वर्ष 2020-21 में FPOs के गठन हेतु 2200 से अधिक FPOs उत्पादन क्लस्टरों का आवंटन किया गया है।
- कार्यान्वयन एजेंसियाँ (Implementing Agencies- IAs) प्रत्येक FPO को 5 वर्ष की अवधि हेतु संगठित करने, रजिस्टर करने और पेशेवर हैंडहोल्डिंग समर्थन (Professional Handholding Support) प्रदान करने के उद्देश्य से क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठनों Cluster-Based Business Organizations- CBBOs से जोड़ रही हैं।
  - CBBOs, FPO से संबंधित सभी मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिये एक मंच प्रदान करेगा।

#### • वित्तीय सहायताः

- 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रत्येक FPO के लिये 18.00 लाख रुपए का आवंटन।
- FPO के प्रत्येक कसिन सदस्य को 2 हजार रुपए (अधिकतम 15 लाख रुपए प्रत्येक एफपीओ) का इकवटी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- FPO को संस्थागत ऋण सुलभता सुनिश्चित करने के लिये पात्र ऋण देने वाली संस्था से प्रत्येक एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी सुवधा का प्रावधान किया गया है।

#### • महत्त्वः

##### ◦ कसिन की आय में वृद्धि:

- यह कसिनों के खेतों या फार्म गेट से ही उपज की बिक्री को बढ़ावा देगा जिससे कसिनों की आय में वृद्धि होगी।
- इससे आपूर्ति शृंखला छोटी होने के परिणामस्वरूप विपणन लागत में कमी आएगी जिससे कसिनों को बहतर आय प्राप्त होगी।

##### ◦ रोजगार सृजनः

- यह ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करेगा तथा फार्म गेट के निकट विपणन और मूल्य संवरद्धन हेतु बुनियादी ढाँचे में अधिक नविश को प्रोत्साहित करेगा।

##### ◦ कृषिको व्यवहार्य बनाना:

- यह भूमिको संगठित कर खेती को अधिक व्यवहार्य बनाएगा।

- कसिनां के लयि अन्य पहलें:

- सतत कृषि के लयि राष्ट्रीय मशिन
- प्रधानमंत्री कृषि सचिवाई योजना।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)।
- पोषक तत्त्वों पर आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना।
- राष्ट्रीय गोकुल मशिन।
- प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना।
- परपरागत कृषि विकास योजना।

### कसिन उत्पादक संगठन:

- नरिमाता संगठन (PO) एक कानूनी संस्था है जसिका गठन प्राथमकि उत्पादकों द्वारा कया जाता है, इनमें कसिन, दूध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शलिपकार शामलि होते हैं।
  - PO कर्सी भी उत्पाद के उत्पादकों के संगठन का एक सामान्य नाम है जैसे- कृषि, गैर-कृषि उत्पाद, कारीगर उत्पाद आदी
- PO एक उत्पादन कंपनी, सहकारी समतिया कोई अन्य कानूनी फरम हो सकती है जो सदस्यों के मध्य लाभ/लाभ के बँटवारे का प्रावधान करता है।
  - कुछ रूपों में नरिमाता कंपनियाँ, प्राथमकि उत्पादकों के संस्थान PO के सदस्य बन सकते हैं।
- 'कसिन उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations- FPOs) में वशिष्ठ रूप से छोटे और सीमांत कसिन उत्पादक शामलि होते हैं, ताकि कृषि की कई चुनौतियों का प्रभावी रूप सेसमाधान करने हेतु एक प्रभावी गठबधन तैयार कया जा सके जैसे- नविशा, प्रौद्योगिकी, आदानों/नविषिटियों और बाजारों तक बेहतर पहुँच। FPO, PO का एक प्रकार है जसिके सदस्य कसिन होते हैं।
- सामान्यतः संस्थानों/संसाधन एजेंसियों (RAs) को बढ़ावा देकर FPOs को गतशीलता प्रदान की जा सकती है।
  - लघु कृषक कृषि विधापार संघ (SFAC), FPOs के प्रचार में सहायक हैं।
- FPOs को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसाधन एजेंसियाँ (Resource Agencies) सरकारों तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बँक (NABARD) जैसी एजेंसियों से मिलने वाली सहायता का लाभ उठाती हैं।

स्रोत: पी.आई.बी

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/formation-promotion-of-10,000-fpos>